HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15235/2026
CNR: RJHC020940542026 | URN: CRLMB / 28142U / 2026

1. Bhimraj S/o Mangalaram, R/o Nai Kothi, Dhani Amarpura, Ward No. 1, Kotputli, District Kotputli-Behror (Rajasthan).
2. Chetram S/o Mangalaram, R/o Nai Kothi, Dhani Amarpura, Ward No. 1, Kotputli, District Kotputli-Behror (Rajasthan).
3. Jaisingh S/o Mangalaram, R/o Nai Kothi, Dhani Amarpura, Ward No. 1, Kotputli, District Kotputli-Behror (Rajasthan).
4. Omprakash S/o Shyodan, R/o Nai Kothi, Dhani Amarpura, Ward No. 1, Kotputli, District Kotputli-Behror (Rajasthan).
5. Madan S/o Radheshyam, R/o Nai Kothi, Dhani Amarpura, Ward No. 1, Kotputli, District Kotputli-Behror (Rajasthan).
6. Ramsingh S/o Radheshyam, R/o Nai Kothi, Dhani Amarpura, Ward No. 1, Kotputli, District Kotputli-Behror (Rajasthan).
7. Deshraj S/o Bhimraj, R/o Nai Kothi, Dhani Amarpura, Ward No. 1, Kotputli, District Kotputli-Behror (Rajasthan).
8. Bhairuram S/o Chetram, R/o Nai Kothi, Dhani Amarpura, Ward No. 1, Kotputli, District Kotputli-Behror (Rajasthan).
9. Mahesh S/o Chetram, R/o Nai Kothi, Dhani Amarpura, Ward No. 1, Kotputli, District Kotputli-Behror (Rajasthan).
10. Hiralal S/o Late Jivanram, R/o Nai Kothi, Dhani Amarpura, Ward No. 1, Kotputli, District Kotputli-Behror (Rajasthan).
11. Ganesh S/o Late Jivanram, R/o Nai Kothi, Dhani Amarpura, Ward No. 1, Kotputli, District Kotputli-Behror (Rajasthan).
12. Beena Devi W/o Ramsingh, R/o Nai Kothi, Dhani Amarpura, Ward No. 1, Kotputli, District Kotputli-Behror (Rajasthan).
13. Savitri Devi W/o Chetram, R/o Nai Kothi, Dhani Amarpura, Ward No. 1, Kotputli, District Kotputli-Behror (Rajasthan).
14. Manju W/o Madan, R/o Nai Kothi, Dhani Amarpura, Ward No. 1, Kotputli, District Kotputli-Behror (Rajasthan).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Shamsul Aarefin
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Hukam Chand Saini

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

30/10/2026

प्रार्थनापत्र संख्या 01/2026 पर सुना गया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आरोपपत्र की प्रति पर कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप दूर करने हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्य व प्रस्तुत तर्क को देखते हुए इस प्रक्रम पर प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेप दूर करते हुए आरोपपत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना कोटपूतली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 601/2014 अपराध अन्तर्गत धारा 148, 307, 325, 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर बाद अन्वेषण चार व्यक्तियों के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिनके संबंध में विचारण चल रहा है। इसके उपरान्त परिवादी ने इसी घटना के संबंध में एक इस्तगासा भी पेश किया, जिसमें अंतिम रूप से दिनांक 06.08.2026 को प्रसंज्ञान आदेश पारित किया गया। उक्त प्रसंज्ञान आदेश के विरूद्ध सैशन न्यायालय में प्रार्थीगण की ओर से एक दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गई, जो सैशन न्यायालय द्वारा दिनांक 07.09.2026 को निरस्त कर दी गई। उसी दिन दिनांक 07.09.2026 को ही सैशन न्यायालय ने प्रार्थीगण का अग्रिम जमानत का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा

संहिता भी निरस्त कर दिया गया। उनका तर्क है कि इसके उपरान्त प्रार्थीगण ने इस न्यायालय (उच्च न्यायालय) में धारा 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की याचिका संख्या 6456/2026 प्रस्तुत की और उस याचिका में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने दिनांक 16.10.2026 को यह आदेश पारित किया कि ''सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर जाए बिना अभियुक्तगगण के विरूद्ध जारीशुदा प्रोसेस दिनांक 03.11.2026 तक स्थगित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 03.11.2026 तक समर्पण नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय द्वारा जारी प्रोसेस पुनः प्रभाव में माना जावेगा या नये सिरे से जारी किया जा सकेगा।'' उनका तर्क है कि उन्होंने यह अग्रिम जमानत का प्रार्थनापत्र उक्त याचिका से पहले प्रस्तुत कर रखा था। उनका तर्क है कि घटना के 12 वर्ष के उपरान्त प्रसंज्ञान लेकर प्रार्थीगण को पहले जमानती वारण्ट और उसके बाद गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया गया है। प्रार्थीगण में से कई वरिष्ठ नागरिक और कई महिलाएं है। प्रार्थीगण से अभिरक्षात्मक पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में प्रार्थी–अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्तगण का प्रार्थनापत्र, जो कि अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, पोषणीय नहीं है, क्योंकि याचिका संख्या 6456/2026 में प्रार्थीगण ने दिनांक 19.08.2026 को जारी गिरफ्तारी वारण्ट को जमानती वारण्ट में परिवर्तित करने की प्रार्थना की थी। उनका तर्क है कि इस याचिका की सुनवाई के दौरान प्रार्थीगण ने न्यायालय में यह सीमित निवेदन किया था कि ''अभियुक्तगण दिनांक 03.11.2026 को अथवा उससे पूर्व विचारण न्यायालय में समर्पित कर देंगे और तब तक जारीशुदा अजमानतीय/जमानतीय वारण्ट का निष्पादन/क्रियान्विति स्थगित रखी जावे।'' प्रार्थीगण के इस निवेदन पर न्यायालय ने यह आदेश पारित किया कि ''सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर जाए बिना अभियुक्तगगण के विरूद्ध जारीशुदा प्रोसेस दिनांक 03.11.2026 तक स्थगित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 03.11.2026 तक समर्पण नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय द्वारा जारी प्रोसेस पुनः प्रभाव में माना जावेगा या नये सिरे से जारी किया जा सकेगा।'' उनका तर्क है कि जब प्रार्थीगण ने एक न्यायालय में इस प्रकार की प्रार्थना कर आदेश प्राप्त किया है, तो यह

प्रार्थनापत्र अब पोषणीय नहीं रहा है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जावे।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2026 को प्रसंज्ञान लेने के उपरान्त प्रार्थीगण के विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया है, जिस गिरफ्तारी वारण्ट को जमानती वारण्ट में परिवर्तित करवाने के लिए प्रार्थीगण ने दाण्डिक विविध याचिका संख्या 6456/2026 पेश की थी, उसमें दिनांक 16.10.2026 को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया–

''सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर जाए बिना अभियुक्तगगण के विरूद्ध जारीशुदा प्रोसेस दिनांक 03.11.2026 तक स्थगित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 03.11.2026 तक समर्पण नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय द्वारा जारी प्रोसेस पुनः प्रभाव में माना जावेगा या नये सिरे से जारी किया जा सकेगा।''

उक्त आदेश को देखने से स्पष्ट है कि समकक्ष पीठ के समक्ष स्वयं प्रार्थीगण की ओर से यह कहा गया है कि वे विचारण न्यायालय में दिनांक 03.11.2026 से पूर्व समर्पण कर देंगे और इसी पर विचारण न्यायालय ने उन्हें अंतरिम रूप से सुरक्षा देते हुए उनके विरूद्ध जारी वारण्ट की क्रियान्विति दिनांक 03.11.2026 तक स्थगित करने का आदेश दिया है, जबकि इस न्यायालय में अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा आत्मसमर्पण संबंधी तथ्य से विपरीत बहस करते हुए यह प्रार्थना की है कि यह न्यायालय विचारण न्यायालय को आदेश दें कि वे प्रार्थी–अभियुक्तगण को विचारण न्यायालय में उपस्थित होने पर जमानत पर मुक्त कर दें। प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से जो प्रार्थना की गई है, वह वास्तव में समकक्ष पीठ के समक्ष की गई प्रार्थना के सर्वथा विपरीत है और उन्होंने समकक्ष पीठ के समक्ष जो वादा (commitment) किया है, उसके भी विपरीत है। समकक्ष पीठ ने अपने आदेश में स्पष्टतः यह लिखा है कि यदि अभियुक्तगण उक्त तिथि तक समर्पण नहीं करते हैं, तो विचारण न्यायालय का प्रोसेस पुनः प्रभावी माना जायेगा। अभी भी दिनांक 03.11.2026 तक प्रार्थीगण के विरूद्ध जारी वारण्ट की क्रियान्विति स्थगित है और ऐसी स्थिति में उन्हें इस प्रक्रम पर गिरफ्तारी का कोई अंदेशा नहीं है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों–परिस्थितियों तथा समकक्ष पीठ के समक्ष

प्रार्थीगण द्वारा किये गये कथन एवं उसके आधार पर पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

117/VISHAL SHARMA